**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1199

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**स्कूलों में बच्चों के साथ अश्लील हरकतें और दुर्व्‍यवहार करना**

1199. श्रीमती छाया वर्माः

 श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

 चौधरी सुखराम सिंह यादवः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि स्कूलों में बच्चों के साथ अश्लील हरकतें और दुर्व्‍यवहार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में इस प्रकार की घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन को किस तरह से सुनिश्चित किया जायेगा?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) और (ख): राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) ने सूचित किया है कि स्‍कूलों में बच्‍चों से अश्‍लील हरकतें और दुर्व्‍यहार करने की घटनाओं पर कोई विशिष्‍ट सूचना ब्‍यूरों में उपलब्‍ध नहीं है। तथापि, राष्‍ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर) और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्‍कूलों में बच्‍चों को शारीरिक दण्‍ड, उत्‍पीड़न और भेदभव से संबंधित क्रमश: 291 और 6 मामले सूचित हुए हैं। नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ग): इस मंत्रालय ने दिनांक 9 अक्‍टूबर, 2014 के पत्र द्वारा अन्‍य बातों के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक पहलुओं जैसे शारीरिक दण्‍ड की समाप्ति, छेड़खानी/यौन उत्‍पीड़न और स्‍कूल वातावरण, स्‍कूली बच्‍चों की सुरक्षा पर विस्‍तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों को दोहराते हुए स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से पुन: दिनांक 11 सितम्‍बर, 2017 के पत्र द्वारा सभी राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों को परामर्श दिया है कि वे स्‍कूली बच्‍चों की सुरक्षा पर दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्‍वयन और संस्‍थापन करने और बच्‍चों के लिए स्‍कूलों में सुरक्षित, निरापद और उन्‍मुक्‍त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में सम्‍पूर्ण प्रशासनिक और निगरानी तंत्र को सुस्‍तरीय बनाए। इस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की मैंटरिंग करते हुए, सीबीएसई ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 12.09.2017 के परिपत्र द्वारा सीबीएसई से संबद्ध सभी स्‍कूलों के प्रमुखों को दिशानिर्देश जारी किए। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि एक कठोर नियम का प्रावधान है जिसके तहत, यदि कोई नैतिक अधमता के मामले में दोषी पाया जाता है तो कार्मिक की सेवाओं को समाप्‍त किया जा सकता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में बच्‍चों की सुरक्षा पर नियमित जागरूकता सत्र शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्‍त, केवीएस प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के माध्‍यम से विभिन्‍न महिला-पुरूष सुग्राहीकरण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। जहां तक नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) का संबंध है स्‍कूलों में बच्‍चों से अश्‍लील हरकतें और दुर्व्‍यवहार करने के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। बच्‍चों की ऐसी घटनाओं से सुरक्षा के लिए उन्‍हें इस संबंध में जागरूक किया जाता है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए समय-समय पर दिशानिदेश जारी किए जाते है और यह निर्देश दिए जाते हैं कि इनका सख्‍ती से अनुपालन किया जाए। इस संबंध में अनुदेशों के कार्यान्‍वयन की निगरानी, हाऊस मास्‍टर, प्रधानाचार्य, विभिन्‍न विद्यालय स्‍तरीय समितियों, जिला प्रशासन, क्‍लस्‍टर इंचार्ज सहायक आयुक्‍त, क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्‍यालय स्‍तर पर सुस्‍थापित प्रणाली के माध्‍यम से की जाती है।

**\*\*\*\*\***